भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003/Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in
Phone No. 0291 –2787152(AAO) / FAX: 0291 – 2788706

फाइल संख्या : 11(7)2022-23/प्रशासन चतुर्थ/ दिनांक: 01.11.2022

**ऑवला फलों की नीलामी हेतु निविदा सूचना**

भा.कृ.अ.प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर के मुख्य बागवानी क्षेत्र एंव टेक्नोलोजी पार्क के बगीचों में ऑवला की विभिन्न किस्मों के 195 संख्या में ऑवला के फल युक्त पेड़ लगे हैं । इन ऑवला फलों की नीलामी, फलों की ऋतु वर्ष 2022-23 (माह नवम्बर, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि) के लिए दिनांक 09.11.2022 को दोपहर :02.30 बजे तक मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र, विस्तृत विवरण, नियम व शर्ते इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है । यदि चाहें तो प्रपत्र संस्थान के कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

नोट : **उपर्युक्त** निविदा सूचना राजस्थान पत्रिका के जोधपुर संस्करण तथा दैनिक भास्कर के जोधपुर संस्करण दिनांक 01.11.2022 को प्रकाशित है ।

भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in
Phone No. 0291 – 2787152 - AAO / 2786586-CAO/ 2786584-Dir./ mail:aaostoreadmiv@gmail.com

F. No. 11(7)2022-23/Admn. IV/ Dated the : 01.11.2022

**ऑवला फलों की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रण विवरण एवं निर्देशित नियम व शर्तें**

**निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक : 09.11.2022 समय दोपहर 2.30 बजे तक**
**निविदा खोलने की दिनांक : 09.11.2022 समय दोपहर 3.00 बजे**

**निविदा संबंधी विवरण, नियम व शर्ते इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है । इच्छुक निविदा कर्ता इस वेब साइट से निविदा संबंधी विवरण डाउन लोड कर सकते हैं ।**

प्रेषक :

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
भा.कृ.अनु.प.–के0शु0क्षे0अ0सं0 (काजरी ),
जोधपुर । (राज0 ) 342003

सेवा में्

मैसर्स / श्रीमान् ––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

**विषय:–** के0शु0क्षे0अ0सं0, (काजरी ) जोधपुर के विभिन्न बगीचों में ऑवला के फलों की ऋतु वर्ष 2022–23 के लिए नीलामी हेतु निविदा।

प्रिय महोदय,

इस संस्थान के निदेशक की ओर से भा.कृ.अनु.प.–के0शु0क्षे0अ0सं0, (काजरी ) जोधपुर के विभिन्न बगीचों में ऑवला के फलों की नीलामी ऋतु वर्ष 2022-23 के लिए मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जिसका विस्तृत विवरण, नियम व शर्ते सलंग्न अनुसार हैं।

सभी प्रकार से पूर्ण सीलबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में दिनांक 09.11.2022 समय दोपहर 2.30 बजे तक प्रस्तुत कर दी जाये अथवा पहॅुच जानी चाहिए । निश्चित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी ।

भवदीय

सलंग्न : उपरोक्तानुसार

सहायक प्रशासकीय अधिकारी (भण्डार)
वास्ते निदेशक

नीलामी सामग्री की विवरणी

| कम संख्या | विवरण | ऑवला पेड़ों की संख्या | कोट की जाने वाली दर |
|---|---|---|---|
| 1. | **इस संस्थान (काजरी), जोधपुर के विभिन्न बगीचों मुख्य बागवानी क्षेत्र, टेकनोलोजी पार्क में विभिन्न किस्मों के ऑवला के 195 पेड़ हैं । ऑवला फल तुड़ाई हेतु माह नवम्बर 2022 से मार्च 2023 के दौरान उपलब्ध होंगे । नीलामी के अन्तर्गत ऑवला पेड़ों के रख–रखाव संबंधी फील्ड कार्य जैसे – सिंचाई, निराई, गुड़ाई इत्यादि सम्मिलित हैं संबंधित ठेकेदार/पार्टी को स्वयं ही अपने खर्चे पर जो कि ऑवला पेड़ों पर लगने वाले फूलों के समय से आरम्भ होकर ऑवला फल लगने तथा इनकी तुड़ाई होने तक की अवधि तक ठेकेदार/पार्टी को जिसके पक्ष में फलों की नीलामी स्वीकृत होगी, निर्देशानुसार पूरे करने होंगे । सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति संस्थान द्वारा की जाएगी ।** | **195 पेड.** | **अंको मे ....................<br><br>शब्दो में<br>........................<br>.......................<br>.......................<br>.......................** |

**नोट : न्युनतम सरकारी मूल्य (Minimum Resere Price) रुपये 60,000.00 रखा गया है। इस सरकारी मूल्य से कम मूल्य कोट की जाने वाली निविदादाता फर्म / पार्टी की निविदा मान्य नही होगी।**

ऑवला फलों की नीलामी हेतु नियम व शर्ते -

1. धरोहर राशि उपरोक्त के लिए रूपये 3000.00 ICAR Unit- CAZRI Jodhpur" के नाम राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट (Demand Draft) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा मान्य नहीं होगी ।
2. सरकार द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. (if applicable ) ऑवला के फलों की नीलामी में सफलतम अधिकतम दर स्वीकृत निविदादाता ठेकेदार /फर्म को अतिरिक्त सरकारी नियमानुसार अलग से देना होगा ।
3. इच्छुक निविदाकर्ता उपरोक्त ऑवला के पेड़ों का निरीक्षण अंतिम दिनांक से पूर्व सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान इस संस्थान में उपस्थित होकर कर सकते हैं ।
4. निविदा सीलबन्द लिफाफे में उपरोक्तानुसार अंतिम दिनांक व समय तक सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है । डाक संबंधी विलम्ब के लिए काजरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । निविदा पत्र के लिफाफे के ऊपर **ऑवला फलों की नीलामी के लिए निविदा"** अवश्य लिखें । निविदा उसी दिन दोपहर 3.00 बजे संस्थान की समिति द्वारा खोली जाएगी ।
5. सफल या उच्चतम निविदा दाता/पार्टी को नीलामी के अन्तर्गत किये जाने वाले संबंधित फील्ड कार्य कार्यालय समय में इस संस्थान के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में अथवा निर्देशानुसार किया जायेगा, प्रत्येक पेड़ की उपज का तौल आदि का पूर्ण ब्यौरा रखा जायेगा । फलो की तुड़वाई ठेका अवधि के दौरान ही पेड़ों के बगैर नुक्सान पहुँचाये फलों को तोड़कर ले जाना होगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह अवधि घटायी अथवा बढायी जा सकती है ।
6. ऑवला की नीलामी में पारित स्वीकृत अधिकतम राशि का आधा भाग निलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद एंव शेष आधी राशि फलों की पहली तुडवाई के दिन जमा करनी होगी ।
7. ठेकेदार को इस संस्थान के प्रांगण में एक विक्रय स्थल रखने की वांछित सुविधा दी जाएगी ।
8. अन्य जानकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित वैज्ञानिक/सहायक प्रशासकीय अधिकारी से ले सकते हैं ।
9. ऑवला फलों की नीलामी के सफलतम अधिकतम स्वीकृत दर निविदा दाता/फर्म के अतिरिक्त अन्य निविदादाता की धरोहर राशि को पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा ।
10. निदेशक, काजरी को बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
11. निविदादाता को इन नियम व शर्तों को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म/पार्टी के नाम की मोहर लगाकर निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है। नियम व शर्तो की प्रतिलिपि इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in.से डाउन लोड की जा सकती है ।
12. ऑवला पेड़ों को दी जाने वाली खाद, फर्टीलाइजर, पेस्टीसाइड तथा सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति संस्थान द्वारा की जाएगी ।
13. नीलामी की अन्य शर्ते नियमानुसार लागू होंगी तथा अन्य संबंधित फील्ड कार्य प्रभारी अधिकारी, उद्यान/Dr. P.R. Meghwal, Principal Scientist (Hort.) के निर्देशानुसार करने होंगे ।
14. प्रस्तुत की गई निविदा हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिये । बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नहीं होगी ।
15. नीलामी की स्वीकृत शर्तो में से किसी भी शर्त का सफलतम अधिकतम दर स्वीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा नीलाामी कार्यावधि के दौरान उल्लंघन किये जाने अथवा कोई शिकायत पाये जाने पर निदेशक को नीलामी/ठेके को निरस्त करने का अधिकार होगा और उस ठेकेदार/फर्म द्वारा इस संस्थान में इस नीलामी से संबंधित जमा करायी गयी समस्त जमा राशि जब्त समझी जायेगी ।
16. ऑवला फलों की नीलामी के स्वीकृत ठेकेदार/फर्म अथवा उसके मजदूरों द्वारा ऑवला के पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान करने पर ठेकेदार को निदेशक द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा करानी होगी ।
17. ऑवला फल नीलामी की स्वीकृत फर्म/ठेकेदार को नीलामी की स्वीकृत अधिकतम राशि के अलावा सिक्युरिटी राशि (ठेके की राशि का 6 प्रतिशत) भी अलग से जमा करनी होगी जो कि नीलामी की शर्तो की अनुपालना व ऑवला फल ऋतु की अवधि पूर्ण होने के पश्चात वापिस देय होगी ।
18. ऑवला पेड़ों को किसी प्रकार का नुक्सान नहीं पहुँचाया जाएगा तथा फल तुड़ाई के लिए पेड़ हिलाये नहीं जाएंगे ।
19. नीलामी छोडने या न छोडने का अधिकार निदेशक, के0शु0क्षे0अ0सं0, जोधपुर को होगा ।
20. नीलामी के अन्तर्गत किये जाने वाले ऑवला पेड़ों के रखरखाव तथा फल तुड़ाई संबंधी फील्ड श्रमिक कार्यो में बाल श्रमिकों को काम में नहीं लगाया जाएगा ।
21. इस निलामी में ऑवला फल तोडने की अवधि नीलामी की दिंनाक से 31 मार्च, 2023 तक वैध रहेगी अथवा आदेशानुसार मान्य होगी ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

ठेके की अन्य शर्तें एवं नियम–

1. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए, अधुरी कॉट–छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. ऑवला फलों की नीलामी संबंधी निविदा हेतु निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 3000/–अमानत राशि ड्राफ्ट द्वारा जो कि ICAR UNIT- ICAR-CAZRI JODHPUR के नाम देय हो संलग्न करना होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
3. निविदा भरते समय ठेकेदार अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर एवं पेन संख्या अवश्य लिखें । पेन संख्या प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
5. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, काजरी को होगा ।
6. ऑवला फलों की नीलामी के स्वीकृत सफलतम अधिकतम दर ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पति को किसी प्रकार का नुक्सान न पहुॅचाए। होने वाले नुक्सान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार/फर्म को करनी होगी ।
7. ठेकेदार को दैनिक कार्यावधि में ही अपने मजदूरों से कार्य करवाना होगा ।
8. ऑवला पेड़ों के बगीचों में पेड़ों के रख रखाव संबंधी फील्ड कार्यो तथा फल तौड़ने इत्यादि कार्यो, कार्यावधि के दौरान करते समय ठेकेदार/फर्म के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
9. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प. – के0 शु0 क्षे0 अ0 सं0 (काजरी) का होगा ।
10. ऑवला फलों संबंधी नीलामी में स्वीकृत फर्म/ पार्टी/ठेकेदार को ऑवला पेड़ों के रख–रखाव तथा फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान ऑवला फलों संबंधी नीलामी के नियम व शर्तो की अनुपालना तथा ऑवला फलों की स्वीकृत राशि निर्देशित समयानुसार जमा कराने के संबंध में एक बन्धक वांछित स्टाम्प पेपर पर भरकर नीलामी की दिनांक से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।
11. ऑवला फलों को तौड़ने के कार्य इत्यादि में लगाये गये व्यक्तियों की सूची संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक अथवा सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी ।
12. ठेकेदार/फर्म को इस कार्य में लगे अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे ESI/EPF/Service Tax etc. का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि का पूर्ण <u>अनुसरण/निर्वाह</u> करना होगा । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों ,अनुदेशों व समय–समय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना करनी होगी और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।
13. नीलामी के अन्तर्गत किये जाने वाले ऑवला पेड़ों के रखरखाव तथा फल तुड़ाई संबंधी फील्ड श्रमिक कार्यो में बाल श्रमिकों को काम में नहीं लगाया जाएगा ।
14. काजरी परिसर में जंगली जानवरों, पशु पक्षियों को नुक्सान पहुॅचाना या इनका शिकार करना वर्जित है । ऐसा करने वाले ठेकेदार के श्रमिक/व्यक्ति/अथवा संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
15. COVID-19 नोवल कोरोना कोविड 19 के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार,स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी आदेशो, दिशा निर्देशों की अनुपालना सख्ती से करनी होगी।
16. आवला फलों की तुडवाई संबंधी कार्यो में ठेकेदारा द्वारा लगाये गये श्रमिको की थर्मल स्क्रीनिंग और सेनेटाइजेशन अनिवार्य है तथा संस्थान परिसर में ऑवला फलों की नीलामी संबंधी फील्ड कार्यो के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी जरुरी होगी।
17. संबंधित ठेकेदार तथा उसके श्रमिको को फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
18. संबंधित ठेकेदार को केवल वे ही श्रमिक ऑवला फलों की तुडवाई संबंधी कार्यो में लगाने होगे जिनमें कोरोना वायरस से संबंधित कोई लक्षण नही है तथा उन सभी श्रमिको को मुंह पर मास्क, फेस कवर / शील्ड, दास्ताने तथा हेण्ड सेनेटाईजर तथा वेक्सिनेटेड इत्यादि आवश्यक सामान कोरोना बचाव हेतु उपलब्ध कराना होगा ।
19. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक